

परिशिष्ट-दो

प्रपत्र- 2(क)

E-mail deo-chp-edu-uk@nic.in दूरभाष/फैक्स- 05965-230614 05965-230531

पत्रांक:-
सेवा में,

10173-24/शि0का0अ0/मान्यता /2022-23 दिनांक

17 दिसम्बर 2022,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक

मल्लिकार्जुन स्कूल चम्पावत,(01-08 तक)

जनपद-चम्पावत।

विषय:-

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 (2) के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधित) नियमावली 2013 के नियम 17 (क) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र निर्गत करने विषयक।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा उपलब्ध स्वघोषणा पत्र दिनांक 03-09-2022 के क्रम में आपके विद्यालय मल्लिकार्जुन स्कूल चम्पावत, (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) को अधिनियम की धारा 19 (2) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मापदण्डों को पूर्ण प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। जनपद चम्पावत में आपके विद्यालय के पंजीकरण की संख्या **PS/60** है। भविष्य में यदि अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों का उल्लंघन दृष्टिगोचर होता है तो उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम-18 के अनुसार विद्यालय की मान्यता/अनापत्ति प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

नोट:- प्रमाण-पत्र वर्ष 2022-2027 तक विधि मान्य होगा।

भवदीय,

(जितेन्द्र सक्सेना)

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
चम्पावत।

पू0सं0/10173-24

/शि0का0अ0/मान्यता /2021-22 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय चम्पावत।
2. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेडा देहरादून।
3. अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत।
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास चम्पावत।
6. संबंधित खण्ड/उप शिक्षा अधिकारी जनपद चम्पावत।
7. कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

(सी0एस0 बिष्ट)

जिला शिक्षा अधिकारी,(प्रा0शि0)
चम्पावत।